कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी, कोरबा (छ.ग.)

साकेत भवन, आई.टी.आई चौक, कोरबा (छ.ग)

Email Id- kdupsskorba@gmail.com

अशोक वाटिका के रख–रखाव एवं संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति सूचना।

एन.आई.टी. सिस्टम टेण्टर नं. 155687

क्र/111/केडीयूपीएसएस/2024–25/.......

कोरबा, दिनांक 04/07/2024

अशोक वाटिका के संधारण, रख–रखाव एवं संचालन हेतु अनुभवी प्रतिष्ठानों से दिनांक 25.07.2024. सायंकाल 5.30 बजे तक वार्षिक देय राशि के आधार पर ऑनलाईन रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। Key-dates निम्नानुसार है: –

Task	Date	Time
Bid Start Date	04.07.2024	12:31 AM
Pre Bid Meeting	15.07.2024	12.00 AM (At Sakat Bhawan Meeting Hall)
Bid Due Date	25.07.2024	17:30 PM
Physicsdoe Submission End Date	30.07.2024	15:00 PM
Bid Open Date(Seheduled)	30.07.2024	16:00 PM

विस्तृत जानकारी chhtisgarh e-procurement portal https://eproc-cgstate-gov.in से दिनांक 04.07.2024. सायंकाल 12.30 बजे से प्राप्त की जा सकती है।

(अ) योग्य निविदाकार–

1. संबंधित प्रतिष्ठान को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/केन्द्र सरकार के उपकम में ठेकेदार अथवा प्रदायकर्ता के रूप में न्यूनतम 03 वर्षो का अनुभव प्राप्त हो।
2. शासकीय/अर्द्धशासकीय/ केन्द्र सरकार के उपकम में किये गये कार्यो का मिलाकर गत् 03 वर्षो में न्युनतम 1.00 करोड रूपये का कार्य किया गया हो, परंतु किसी भी एक वर्ष में यह राशि 10.00 लाख से कम न हो।
3. इनकम टेक्स रिटर्न की प्रति (गत् 3 वर्षो की) जमा करना अनिवार्य होगा।
4. संबंधित प्रतिष्ठान का कोरबा शहर मे कार्यालय स्थापित हो एवं यदि नहीं है तो इस आशय की लिखित जानकारी देनी होगी कि अनुबंध पश्चात् 15 दिवस के भीतर कार्यालय किस स्थान पर प्रारंभ किया जाएगा।

(ब) "सफल निविदाकार" :–

निविदा की समस्त शर्तो का पालन करते हुए जो निविदाकार अधिकतम वार्षिक राशि कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को देना प्रस्तावित करेगा, उसे ही सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा।

(स) "निविदा प्रक्रिया:–

1. निविदा तीन लिफाफा पद्वति से आमंत्रित किया जाता है:–

लिफाफा "अ":–

1. लिफाफा "अ"– में 5.00 लाख (पॉच लाख रू.) रूपये के डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नाम से अमानत राशि जमा करना होगा। अमानत राशि चेक अथवा नगद स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं ऐसी निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग में सिंगल विण्डो रजिस्ट्रेशन (डी एवं प्रवर श्रेणी) का प्रमाण पत्र।

Scanned with OKEN Scanner

3. 3000/- रू. का डी.डी. डाक्यूमेंट फीस के रूप में आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नाम से देना होगा।
4. प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य होने बाबत् निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र।

लिफाफा "ब":-

लिफाफा "ब" में अनुभव एवं अन्य कागजात जो आवश्यक है, संलग्न करना होगा। लिफाफा "ब" में निविदा दर स्वीकार्य नहीं की जावेगी एवं निविदाकार की निविदा अमान्य कर दी जावेगी। लिफाफा "ब" में निम्न दस्तावेज संलग्न करना होगाः-

1. संबंधित प्रतिष्ठान को संबंधित विभाग/विभागों में गत् 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष में किये गये कार्यो की लागत बाबत् संबधित विभाग के अधिकारी जो प्रथम श्रेणी अधिकारी से कम न हो का प्रमाण पत्र। अपूर्ण अथवा प्रगति पर कार्यो को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. गत् 03 वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न की सत्यापित प्रति।
3. पेन कार्ड।
4. GST प्रमाण पत्र जो Bid Due Date (संशोधित) तक लिए मान्य हो।
5. 5.00 लाख रू. की बैंक गारंटी आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नाम से मूल प्रति।
6. विगत् 5 वर्षो में किसी भी संस्था में ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ पत्र।
7. कोरबा शहर में स्थित कार्यालय का पता एवं फोटोग्राफ, यदि कोरबा शहर में कार्यालय नहीं है तो जिस स्थल पर खोला जावेगा, उस बाबत् लिखित जानकारी।

लिफाफा "अ" एवं "ब" अलग-अलग सीलंबद कर एवं बड़े लिफाफा जिस पर अशोक वाटिका के संधारण, रख-रखाव एवं संचालन हेतु निविदा तथा प्रेषक का पूर्ण पता लिखा हो, आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नाम से स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। कोरियर सर्विस के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष में उपस्थित होकर दिया गया लिफाफा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

फायनेंसियल बिडः-

1. फायनेंसियल बिड ऑनलाईन देना होगा। इसके अंतर्गत प्रस्ताव देना होगा कि समस्त शर्तो का पालन करते कितनी वार्षिक राशि निविदाकार द्वारा कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को दी जावगी।
2. सर्व प्रथम अमानत राशि का लिफाफा "अ" खोला जावेगा। अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के रूप में, डाक्यूमेंटेशन फीस एवं शपथ पत्र सही पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" खोला जावेगा। लिफाफा "ब" में दी गई जानकारी के पूर्ण परीक्षण उपरांत योग्य पाये जाने के पश्चात् ही फायनेंसियल बिड ऑफलाईन खोला जावेगा। यदि लिफाफा "ब" में दी गई जानकारी अस्पष्ट है एवं संदेहास्पद है तो इसकी पुष्टि कराने की जवाबदारी निविदाकार की होगी, अन्यथा फायनेंसियल बिड नहीं खोला जावेगा व निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
3. निविदा प्रक्रिया अंतर्गत लिफाफा "अ" एवं "ब" में अलग-अलग कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित कर दी गई है, किसी भी एक लिफाफा में मांगी गई जानकारी किसी अन्य लिफाफा में स्वीकार नहीं की जावेगी। लिफाफा "अ" एवं "ब" में दी गई जानकारी निविदा शर्तो के अनुरूप होने पर ही फायनेंसियल बिड खोला जावेगा।

(द) चयनित निविदाकार (पक्षकार क्र.02) का दायित्व :-

चयनित निविदाकार एवं कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के मध्य अनुबंध करना होगा, जिसमें आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार क्र. 01 एवं चयनित निविदाकार पक्षकार क्र.02 के नाम से जाना जावेगा। अनुबंध उपरांत पक्षकार क्र. 02 का निम्नानुसार दायित्व होगा :–

1. अशोक वाटिका के भीतर एवं मुख्य प्रवेश द्वार व अन्य प्रवेश द्वार के आस–पास स्वयं के व्यय से संपूर्ण सफाई व्यवस्था।
2. अशोक वाटिका में पूर्व से बनाये गये लैण्ड स्केपिंग एवं अन्य हरियाली, पेड़–पौधे, लगाये गये है। आदि का नियमित रख–रखाव।
3. अशोक वाटिका में स्थापित सभी स्ट्रक्चर का वर्ष में एक बार आवश्यकतानुसार रंग–रोंगन का कार्य एवं समय–समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य।
4. समस्त फौव्वारों का नियमित रख–रखाव एवं आवश्यकतानुसार पंप, नोजल, लैम्प बल्ब आदि का मरम्मत एवं चालू हालत में रखने का कार्य।
5. समस्त विद्युत खंभो में लगाये गये लैम्प आदि का नियमित रख–रखाव तथा मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार नया लगाने का कार्य।
6. अशोक वाटिका में विभिन्न स्थानों पर कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की अनुमति से खेल–कूद की सामाग्री एवं अन्य एडवेंचर/फन गेम्स, राईट्स आदि स्वयं के व्यय से लगाने एवं संचालन करने का दायित्व पक्षकार क्रमांक 02 का होगा। संचालनकर्ता इन सभी उपकरणों को अस्थायी रूप से स्थापित करेगा एवं इस पर पक्षकार क्र. 02 का ही स्वामित्व होगा एवं अनुबंध समाप्ति उपरांत इसे वापस ले जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
7. अशोक वाटिका में पूर्व से निर्मित फूड कोर्ट एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग पक्षकार क्र. 02 द्वारा क्रमशः खाने–पीने संबंधित कार्यो अर्थात कैंटीन संचालन तथा अन्य कार्यों हेतु कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा। संचालनकर्ता को कैंटिन संचालन हेतु खाद्य विभाग अथवा अन्य किसी विभाग से लाईसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही कैंटिन का संचालन प्रारंभ करना होगा। संचालनकर्ता को कैंटिन में उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट केडीयूपीएसएस को सूचित करना होगा तथा रेट लिस्ट को कैंटिन में डिस्प्ले करना होगा।
8. क्रमांक 06 एवं 07 तथा अशोक वाटिका में पक्षकार क्रमांक 02 द्वारा प्रस्तावित अन्य कार्यों के संबंध में कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के समक्ष प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवश्यकतानुसार कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा संशोधन किया जा सकेगा। संचालनकर्ता केडीयूपीएसएस से अनुमोदन उपरांत ही उक्त प्रस्तावित कार्यों को प्रारंभ कर सकेगा।
9. विकसित किये गये अशोक वाटिका को आकर्षक व सुंदर बनाये रखने के लिए सभी प्रयास करना पक्षकार क्र. 02 का दायित्व होगा ताकि अशोक वाटिका नागरिकों के लिये आकर्षण का केंद्र बना रहें।
10. अशोक वाटिका में स्थापित किये गये समस्त विद्युत पोल जो स्ट्रीट लाईट से जुडे हुए है एवं अशोक वाटिका में विभिन्न स्थान जैसे– मुख्य प्रवेश द्वार तथा प्रवेश द्वार में लगाये गये विद्युत उपकरण तथा गेम जोन एवं अन्य स्थानों पर स्थापित सभी उपकरणों के संचालन में होने वाले विद्युत देयकों का भुगतान पक्षकार क्र.02 द्वारा किया जावेगा, अर्थात अशोक वाटिका से संबंधित किसी भी प्रकार के विद्युत देयकों का भुगतान सोसायटी द्वारा वहन नहीं किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् विद्युत देयक भुगतान करने हेतु यदि कोई राशि लंबित है तो इसका भुगतान पक्षकार क्र. 02 द्वारा जमा की गई अमानत राशि से कटौती कर की जावेगी।
11. पक्षकार क्र. 02 द्वारा अमानत राशि 5.00 लाख रू. के अतिरिक्त पक्षकार क्र. 01 आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के नाम से 5.00 लाख रूं की बैंक गारंटी (राष्ट्रीकृत बैंक की) सफल निविदाकार को अनुबंध के समय अनुबंध अवधि के लिए जमा करना होगा।
12. पक्षकार क्र. 02 द्वारा पक्षकार क्र. 01 (कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी) को निविदा अनुसार देय वार्षिक राशि माह अप्रैल के 05 तारीख तक जमा करना होगा, अन्यथा प्रति दिवस 1 प्रतिशत वार्षिक देय राशि का पेंनाल्टी देना होगा। यह पेनाल्टी अधिकतम 30

Scanned with OKEN Scanner

दिवस के विलंब हेतु ही स्वीकार ही जावेगी, पश्चात् अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी एवं बकाया राशि पक्षकार क्र. 02 द्वारा कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी में जमा की गई बैंक गारंटी से वसूल की जावेगी।

13. अशोक वाटिका के सदस्यों के लिए प्रातः 5.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक मार्निंग वॉक/योगा आदि के लिये निःशुल्क पास के आधार पर प्रवेश रहेगा व इस अवधि में वाहनों हेतु पार्किंग शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। प्रवेश शुल्क सहित अशोक वाटिका खुलने का समय दोपहर 11.00 से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा। रात्रि 9.00 बजे उपरांत अशोक वाटिका को खोलने की अनुमति नही होगी। यह व्यवस्था शासकीय आयोजनों पर बंधनकारी नहीं होगी।

(इ) चयनित निविदाकार (पक्षकार क्र.02) का अधिकारः—

1. अशोक वाटिका में प्रवेश करने वालों से पक्षकार क्र.02 अधिकतम् निम्नानुसार प्रवेश शुल्क ले सकता हैः—

   a) 03 वर्ष तक बच्चे हेतु — निःशुल्क

   b) 03 वर्ष से अधिक व 12 से कम हेतु — 10/—

   c) 12 वर्ष से अधिक हेतु — 20/—

   निविदाकार द्वारा प्रवेश शुल्क हेतु अपने व्यय से कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा निर्धारित डिजाईन अनुसार टिकट प्रिंट कराना होगा एवं इसमें यदि कोई कर आवश्यक हो तो इसका वहन पक्षकार क्र.02 द्वारा ही किया जावेगा।

2. निविदाकार को वाहनों से अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क लेने का अधिकार होगाः—

   1. सायकल — 5/—
   2. दो पहिया वाहन — 10/—
   3. चार पहिया वाहन — 20/—

   वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही हो, यह देखना पक्षकार क्र.02 का दायित्व होगा। कोई भी पार्किंग स्थल पर यदि कोई अस्थाई निर्माण कार्य कराना चाहे तो कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी से अनुमति लेकर पक्षकार क्र. 02 द्वारा अपने व्यय से कराया जा सकता है। इस प्रकार किये गये अस्थाई निर्माण का अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् निविदाकार को वापस ले जाने का अधिकार होगा।

   1. आयोजन स्थल पर पूर्ण साफ—सफाई रखने की जवाबदारी पक्कार क्र.02 की होगी।
   2. किसी भी आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद हेतु कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी जिम्मेदार नहीं होगा, यह जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 02 की होगी।
   3. इस प्रकार के आयोजन के लिये कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है अथवा किसी प्रकार का टैक्स देय होता है तो यह जिम्मेदारी व दायित्व पक्षकार क्र. 02 की ही होगी।

3. पक्षकार क्र. 02 द्वारा फुडकोड के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी कैंटीन का संचालन नही किया जा सकेगा।

4. अशोक वाटिका के भीतर तालाब में नौकायान पक्षकार क्र.02 द्वारा प्रांरभ किया जा सकता है, परंतु इसके लिये उसे स्वयं के व्यय पर नौका लाना होगा एवं आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। नौकायान हेतु शुल्क का निर्धारण निविदाकार द्वारा किया जावेगा व शुल्क की राशि पक्षकार क्र. 02 द्वारा ही ली जावेगी। सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 02 की होगी व बचाव दल के देख—रेख मे ही नौकायान संचालित किया जावेगा। अनुबंध समाप्ति पश्चात् नौका पर पक्षकार क्र. 02 का ही अधिकार होगा। यदि किसी अन्य को इसे संचालन हेतु पक्षकार क्र.02 द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो शर्तो का अनुमोदन पक्षकार क्र. 01 अर्थात कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी से प्राप्त करना होगा।

<u>अन्य शर्तेः—</u>

Scanned with OKEN Scanner

1. अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से 5 वर्ष होगी एवं प्रतिवर्ष कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को पक्षकार क्र.02 द्वारा दी जाने वाली गत् वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. यदि दोनों पक्षकार सहमत हो तो अन्य समस्त शर्तें पूर्ववत् रखते हुए कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को प्राप्त होने वाली गत् वर्ष की वार्षिक राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अनुबंध की अवधि 03 वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है परंतु यह पक्षकार क्र. 02 का अधिकार नहीं होगा और नहीं पक्षकार क्र.01 अथवा 02 पर बंधनकारी होगी।
3. अनुबंध तिथि के पश्चात् अशोक वाटिका के संचालन एवं सुरक्षा संबंधित समस्त दायित्व पक्षकार क्र. 02 का होगा।
4. अशोक वाटिका के भीतर निर्मित सार्वजनिक सुलभ शौचालय के संचालन व रख-रखाव, साफ-सफाई आदि का दायित्व पक्षकार क्र. 02 का होगा।
5. अशोक वाटिका के संचालन में संलग्न किये गये सभी कर्मचारियों का फोटो आई.डी. व निवास का पता प्रमाणित कर पक्षकार क्र. 02 द्वारा कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी में जमा करना होगा।
6. अशोक वाटिका के संचालन हेतु संलग्न किये गय समस्त कर्मचारी पक्षकार क्र. 02 के होंगे। इन कर्मचारियों की सुरक्षा, बीमा, चिकित्सा सुविधा, बोनस, प्रोविडेन्ट फण्ड, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, असमायिक मृत्यु होने पर एवं कार्यो के प्रति पक्षकार क्र. 02 जवाबदेह होगा। अतः चरित्रवान एवं योग्य व्यक्तियों को ही अशोक वाटिका संचालन के संवेदनशील कार्य हेतु नियुक्त किया जाना पक्षकार क्र. 02 की जवाबदाही होगी।
7. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के अधिकारियों की टीम एवं पक्षकार क्र. 02 अथवा प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जावेगा एवं यदि कोई भाग/उपकरण/सामाग्री छतिग्रस्त पायी जाती है तो आयुक्त सह पदेन सचिव के निर्देशानुसार एक सप्ताह के भीतर इसमें सुधार करना होगा। एक सप्ताह के भीतर सुधार नहीं करने पर आयुक्त सह पदेन सचिव, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा पेनाल्टी निर्धारित की जावेगी जो पक्षकार क्र. 02 पर बंधनकारी होगा एवं 10 दिवस के भीतर जमा करना होगा। 10 दिवस के भीतर पेनाल्टी जमा नहीं करने पर प्रतिदिवस विलंब हेतु निर्धारित पेनाल्टी का 10 प्रतिशत अधिक जमा करना होगा एवं यह विलंब अधिकतम 10 दिवस तक मान्य होगा, पश्चात् पक्षकार क्र. 01 अर्थात् कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी स्वयं के व्यय से सुधार कार्य करा कर पेनाल्टी एवं विलंब राशि सहित समस्त राशि पक्षकार क्र. 02 द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी से कटौती की जावेगी।
8. पक्षकार क्र. 01 एवं पक्षकार क्र. 02 जब कभी चाहे 03 माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
9. अनुबंध दिनांक की स्थिति में अशोक वाटिका के सभी भागों का वीडियों एवं फोटोग्राफ तैयार किया जावेगा तथा कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा कराये गये कार्यो का रिकार्ड रखा जावेगा। अनुबंध दिनांक की समाप्ति पश्चात् पुनः इसका परीक्षण किया जावेगा एवं क्षतिग्रस्त पाये जाने पर आंकलन कर संबंधित राशि पक्षकार कमांक 02 से नगद अथवा "अमानत राशि से कटौती कर वसूल की जावेगी। अशोक वाटिका जिस स्थिति में पक्षकार क्र. 02 को संचालन हेतु सौंपा जावेगा, अनुबंध समाप्ति पश्चात् उसी स्थिति में प्राप्त किया जावेगा।
10. यदि पक्षकार क्र. 02 अशोक वाटिका के किसी भाग में अस्थायी प्रकृति का कोई निर्माण अनुबंध अवधि के दौरान उपयोग हेतु करना चाहता है तो कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को इसके लिए आवेदन देना होगा, जिस पर कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकता है एवं तदानुसार अनुमति दी जा सकती है। (परंतु इस प्रकार का किया गया स्थायी निर्माण अनुबंध अवधि के समाप्ति उपरांत कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की सम्पत्ति मानी जावेगी।)
11. किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. संचालन के दौरान अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी जिम्मेदार नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की क्षति पूर्ति अथवा मुआवजा कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी द्वारा प्रदान नहीं किया जावेगा। यह समस्त जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 02 की होगी। पक्षकार क्र. 02 को फायर सेफ्टी संबंधी सभी उपाय स्वयं के व्यय से करना होगा एवं आवश्यक फायर सेफ्टी आडिट नियमानुसार करना होगा।
13. इस निविदा में श्रम अधिनियम लागू है एवं इसका पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराना पक्षकार क्र. 02 का दायित्व होगा।
14. प्री–बिड बैठक दिनांक 15.07.2024 को प्रातः 12.00 बजे एम.आई.सी. कक्ष, प्रथम तल, नगर पालिक निगम, साकेत भवन, आई.टी.आई रामपुर कोरबा, में आयोजित किया गया है।
15. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. सभी प्रकार के आवश्यक टैक्स पक्षकार क्र. 02 द्वारा देय होगा।
17. अशोक वाटिका का निर्माण शासकीय मद से किया गया है अतएव इसका उपयोग किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों, अनैतिक कार्यो, निजी व्यवसाय संचालन, किसी भी प्रकार की मादक उत्पादों के विज्ञापन के लिए नहीं किया जावेगा। यदि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित पाई गई तो नियमानुसार अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
18. अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी,साकेत भवन, आई.टी.आई चौक, रामपुर कोरबा के स्थित कार्यालय से एवं नोडल अधिकारी, कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के मोबाईल नं. 7773007189 से प्राप्त किया जा सकता है।

आयुक्त सह पदेन सचिव
कोरबा जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner